मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १६ सन् २०१६

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ३६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा ३६ में, उप-धारा (१) में, खण्ड (ग घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ग ङ) जिसके आवासीय परिसर में फ्लश शौचालय या जलवाहित शौचालय नहीं है; या".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता एवं हर घर में शौचालय होना पहली प्राथमिकता है. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा ७ की उपधारा (१) के खण्ड (ट) में यह उपबंध है कि स्वच्छता और सफाई ग्रामसभा के कार्यों में से एक है. इस उपबंध के प्रभावी क्रियान्वयन की दृष्टि से, पंचायत निर्वाचन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए यह निर्रहता अन्त:स्थापित की जाना आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसके आवासीय परिसर में फ्लश शौचालय या जलवाहित शौचालय नहीं है, पंचायत निर्वाचन में अभ्यर्थी होने के लिए निरर्ह होगा. अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि उपरोक्त अधिनियम की धारा ३६ को यथोचित रूप से संशोधित किया जाए.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २० जुलाई, २०१६

गोपाल भार्गव
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) से उद्धरण.

धारा १ से ३५ * * * * *

धारा ३६ (१) (ग-घ) जिसके नाम से, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल या उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों को देय, उस माह के प्रथम दिवस को, जिसमें कि निर्वाचन अधिसूचित किया गया हो, छह माह से अधिक की कालावधि के कोई शोध्य हो, या जिसके नाम से किसी भी प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था जिसके क्षेत्र में पंचायत स्थित हो, उस पंचायत के निर्वाचन की घोषणा की तारीख पर कोई कालातीत ऋण बकाया हो;

* * * * * *

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.